न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

उनवान

सांवरालाल पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी रायनगर तहसील सावर जिला अजमेर ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136एल.आर.एक्ट

–:: आदेश ::–

दिनांक 10.11.2021

तहसीलदार सावर द्वारा प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प बाढका झोपडा में प्रस्तुत किया । सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम रायनगर की जमाबन्दी सं0 2071–74 के खातास. नया–पुराना 256–236 किता 9 रकबा 0.63 है. प्रार्थी का नाम संयुक्त खातेदारी में सांवरलाल पुत्र रामकिशन हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि खाता स. नया–पुराना 257–237 के खसरा नम्बर 1110/615 रकबा 0.3600 चाही उत्तम भी प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी है, इसमें प्रार्थी का नाम सांवरा पुत्र रामकिशन दर्ज है अतः सांवरलाल के स्थान पर सांवरा पुत्र रामकिशन अंकन दर्ज किया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण में प्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार सावर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार सावर पेरोकार सरकार ने बताया कि ग्राम रायनगर के वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी में खाता स. 256 में सावरलाल पुत्र रामकिशन हि. 1/4 जाति गूर्जर सा.देह खातेदार दर्ज है जो जमाबन्दी स. 2063–64 के खाता स. 174 में जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र से नामान्तकरण संख्या 317 दिनांक 5.10.2010 से विक्रेता रामकुवार पि. उदा ,रामनाथ वल्द कल्याण हि. 1/4 कोम गूर्जर के स्थान पर क्रेता सांवरालाल पुत्र रामकिशन जाति गूर्जर सा.देह खातेदार का अमल हुआ है। रजिस्ट्री विक्रय पत्र दिनांक 2.6.2010पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 494 पृष्ठ स. 192 कम सं. 1592/10 अतिरिक्त पुस्तक स. 8 के कमांक 809 से 812 उपपंजीयक केकडी में भी केता का नाम सावरलाल पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर दर्ज है। आधार कार्ड एंव मतदाता पहचान पत्र की फोटोप्रति में प्रार्थी का नाम सावरा पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर ही है।

पत्रावली के दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को सुना गया । प्रार्थी ने आज केम्प में उपस्थित होकर संरपच ग्राम पंचायत बाढकाझोपडा द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि प्रार्थी सावरा व सावरलाल पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी रायनगर दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के है। तहसीलदार सावर को सुना गया। तहसीलदार सावर ने जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम सांवरा दर्ज किये जाने की सहमति दी है। अतः ग्राम रायनगर की जमाबन्दीस. 2071–74 के खाता स. नया–पुराना 256–236 में संयुक्त खातेदारों के साथ दर्ज सावरलाल पुत्र रामकिशन के स्थान पर सांवरालाल पुत्र रामकिशन दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सावर को दिये जाते है। अन्य इन्द्राज बदस्तूर रहेगें। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गांवो के संग अभियान शिविर स्थल बाढ का झोपडा में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.01 13:29:05 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली) 10/11
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner